

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
२२-११-२२	जज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी बखूबी साबित होती है। अतः यह आदेश प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण जारी किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फिलहाल नेशनल मण्डार अलवर जमा करवाई जाये। उपखण्ड अधिकारी नैमराणा (अलवर) राजस्थान

